संख्या- 02/2017/34/62-1-2017-1108/2015

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक- 16 मार्च,2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-13 के अधीन आयोजनागत पक्ष की नवीन योजना-13-क्षेत्रीय भूजल हब की स्थापना योजना के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-566जी/भू0ज0वि0/(भूजल हब), दिनांक 16 अगस्त, 2016 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में चालू नवीन योजना-13-क्षेत्रीय भूजल हब की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 31500 हजार (रूपया तीन करोड पन्द्रह लाख) के सापेक्ष जनपद-बस्ती में स्थित कुल भूमि 0.904 हेक्टेयर को क्रय किये जाने हेतु रू0 7500 हजार (रूपया पचहत्तर लाख) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-13/2016/1177/62-1-2016-1108/2015, दिनांक 31 अगस्त,2016 द्वारा निर्गत की गयी थी । तदनुक्रम में उक्त प्राविधानित धनराशि रू0 31500 हजार (रूपया तीन करोड पन्द्रह लाख मात्र) के सापेक्ष भूजल हब के निर्माण कार्य हेतु रू0 240724 हजार के आगणनों के प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित रू0 225199 हजार के आगणन पर अनुमोदन प्रदान किया गया है । अत: क्षेत्रीय भूजल हब, बस्ती की स्थापना हेतु रू0 225199 हजार (रूपया बाईस करोड इक्यावन लाख निन्यानवे हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए आय-व्ययक में उपलब्ध अवशेष रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

24000 हजार (रूपया दो करोड चालीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रू0 में)

क्रं0सं0	लेखाशीर्षक/मद	बजट प्राविधान 2016-17	निदेशक के निवर्तन पर रखी जाने वाली धनराशि
"लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-13-क्षेत्रीय भूजल हब की स्थापना ।"			
1	वृहत निर्माण कार्य	31000	23500
2	अन्य व्यय	500	500
	योग	31500	24000

(रूपया दो करोड चालीस लाख मात्र)

2- उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेंगी:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में जमा नहीं किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, भूगर्भ जल विभाग की होगी।

(4) पी0एफ0डी0 की शर्तों एवं वित्त (बजट) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च,2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेटेंज चार्ज लिया जायेगा।

(6) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(9) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृत जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) एकमुश्त व्यवस्था के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-3-2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(11) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रभाग द्वारा पाइल फाउण्डेशन अनुमन्य किया गया है । इस मद में व्यय स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर दिया जाय, जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

(12) प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में बाउण्ड्रीवाल निर्माण, रिटेनिंगवाल ऊपर कराया जाना प्रस्तावित है, जिसके बाउण्ड्रीवाल की लागत रू0 16686.85 प्रति र0मी0 आ रही है । बाउण्ड्रीवाल एवं रिटेनिंगवाल की ऊंचाई न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर रखी जाय।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है

(14) प्रभाग द्वारा लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है । मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा ।

(15) चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलबध धनराशि रू0 2.40 करोड से प्रथम चरण में डी0पी0आर0 में निर्धारित साढे पांच फिट ऊंची बाउडरी वाल, ओवर हेड टैंक, पम्प हाउस, बोरिंग तथा मेन बिल्डिंग का फाउण्डेशन कार्य आदि ही शुरू किया जायेगा । पूर्व में प्रस्तावित गैराज, ड्रेन इत्यादि कार्यों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(16) अर्थ फिलिंग के कार्यों को न्यूनतम एवं यथावश्यक मेन बिल्डिंग तक ही सीमित रखा जायेगा ।

(17) मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 सिडको (कार्यदायी संस्था) द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना का गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य का समय से पूर्ण किया जायेगा ।

(18) निर्माण कार्य में निरन्तरता बनाये रखने हेतु यू0पी0सिडको, जनपद-बस्ती एवं सीनियर हाइड्रोजियोलाजिस्ट, भूगर्भ जल विभाग, खण्ड-बस्ती द्वारा निर्माण कार्यों के संचालन में आपस में समन्वय रखा जायेगा ।

(19) उपर्युक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च,2016 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/ प्राविधानों/शासनादेशों का अनुपालन अक्षरश: अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(20) अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय ।

(21) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय ।

(22) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय । व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे ।

(23) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी । अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना शासन को दी जाय ।

(24) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आंवटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(25) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का एकमुश्त आहरण कदापि न किया जाय । आवश्यकतानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण किश्तों में किया जाय ।

3- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के "लेखाशीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-102-भूजल-13-क्षेत्रीय भूजल हब की स्थापना" मद के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-1152 /दस-2016, दिनांक 26 दिसम्बर,2016 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मोनिका एस. गर्ग)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-02/2017/34 (1)/62-1-2017, तदद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, सिडको, लखनऊ ।

(4) नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0शासन ।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन ।

(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।

(8) निदेशक, सूचना, उ0प्र0 ।

(9) एन0आई0सी0 की प्रति

(10) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(ओम नारायण अहिरवार)

उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।